# अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती गीता गुप्ता पत्नी स्व. श्री एस.सी. गुप्ता निवासी 315, आशियाना ग्रीन वुड, जगतपुरा, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

गगन गुप्ता पुत्र स्व. श्री एस.सी. गुप्ता निवासी 916 सैक्टर 13, अरबन एस्टेट, करनाल, हरियाणा।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.02.2021 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 16/2020 ब–उनवानी श्रीमती गीता गुप्ता बनाम गगन गुप्ता

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं है।

निर्णय दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 16/2020 ब–उनवानी श्रीमती गीता गुप्ता बनाम गगन गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये 30 दिवस से अधिक का समय हो गया है, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए तामील पर्याप्त मानी जाती है। तहत रिकार्ड तलब किया गया है।
3. बहस एक पक्षीय अपीलार्थी सुनी गई।
4. अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने जो परिवाद प्रस्तुत किया है उसकी तामील भी विपक्षी पर हो गई और रेस्पोडन्ट के अनुपस्थित रहने कारण दिनांक 01.10.2020 को विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया गया इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने कथन किये है वह पूर्ण रूप से सही सिद्व होते है और उनका कोई प्रतिकार अधिकरण के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल आंशिक रूप से ही परिवाद स्वीकार किया है। अपीलान्ट ने अपनी याचिका में स्पष्ट कथन किया है कि वह अपने निवास हेतु स्वयं की बचत से बैंक से ऋण लेकर फ्लेट नं. 315 आशियाना ग्रीन वुड जगतपुरा जयपुर मे फ्लेट कय किया और समस्त विकय मूल्य की राशि अपीलान्ट द्वारा ही जमा कराई गई। अपीलार्थी ने अपने परिवार में स्पष्ट कथन किया है कि विपक्षी ने अपीलार्थी की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वृद्धावस्था का दुरूपयोग कर अपीलार्थी की देखभाल किये जाने का गलत तथ्य प्रकट कर बिना कोई विक्रय मूल्य अदा किये विक्रय पत्र में अपीलार्थी के नाम के साथ अपना नाम भी जुड़वा दिया । रेस्पोडेन्ट ने अपनी पत्नी अनु गुप्ता से साजिश रच कर दिनांक 14.04.2018 को अलमारी का ताला तोड कर फ्लेट के असल कागजात चुरा लिये ओर अब अपीलान्ट द्वारा क्रय किये गये फ्लेट को खुर्द बुर्द करना चाहता है। अपीलान्ट को फ्लेट नम्बर 315, आशियाना ग्रीन वुड जगतपुरा जयपुर एक मात्र स्वामिनी मालिक घोषित किया जावे एवं रेस्पोडेन्ट को निर्देशित किया जावे कि उक्त फ्लेट के विक्रय पत्र से अपना नाम हजफ करवा लेवे । रेस्पोडेन्ट को आदेशित किया जावे कि अपीलार्थी के बैंक–बैंक ऑफ बडौदा के खाता संख्या 14630100010988 तथा आई सी आई सी आई बैंक का खाता संख्या 002101043466 से अपना नाम हटा लेवे तथा इन्टरनेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से उसका संचालन नहीं करें । इस अनुतोष पर अधीनस्थ अधिकरण ने अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की और उक्त तथ्य को नजर अन्दाज कर दिया। अधीनस्थ अधिकरण ने आंशिक रूप से अपीलानट का परिवाद स्वीकार कर 8000/–रूपये अपीलार्थी को बतौर भरण पोषण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जरिये चैक में जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये और साथ ही रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया गया कि वह अपीलार्थी को किसी प्रकार हैरान व परेशान नहीं करे तथा फ्लेट नम्बर 315 आशियाना ग्रीनवुड जगतपुरा जयपुर में बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक तरीके से जीवन यापन करने व निवास करने दे, परन्तु इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया । अपीलार्थी की अपनी बचत से जो एफ डी, किशान विकास पत्र, एन.एस.एस. ली गई थी। जिनकी कुल राशि 37,00,000/–रूपये छलपूर्वक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्राप्त कर ली गई है वह राशि रेस्पोडेन्ट से अपीलार्थी को दिलाई जावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा धोखा दे कर व गलतबयानी कर फ्लेट आशियाना ग्रीनवुड जगतपुरा जयपुर में अपना नाम अंकित कराया जिसका उसे कोई अधिकार नही है। उक्त फ्लेट की सारी किश्ते अपीलार्थी द्वारा ही जमा कराई जा रही है। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट का नाम विक्रय पत्र से व बैंक खातों से हटवाने का पूर्ण कानूनी अधिकार है। अपीलार्थी कोविड बीमारी और फ्क्चर होने के कारण अपील समय पर प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किये जाकर मैरिट पर निस्तारण किया जावे।

5. अपीलार्थी की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थीगण की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। न्यायहित में प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से तीन अनुतोष चाहे है। प्रथम, अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण द्वारा निर्धारित की 8,000/–रूपये प्रति माह के हिसाब से अब तक की बकाया राशि दिलाई जावे । रेस्पोडेन्ट द्वारा आलौच्य आदेशानुसार राशि का भुगतान नहीं किया गया है और ना ही कोई अपील की गई। इसलिए अपीलार्थी का यह अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है। द्वितीय, फ्लेट संख्या 315 आशियाना ग्रीनवुड जगतपुरा जयपुर के विक्रय पत्र मे रेस्पोडेन्ट गगन गुप्ता का बतौर सह केता अंतिक नाम हजफ किया जावे। सम्पत्ति के अन्तरण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

बाबत धारा–23 में प्रावधान दिये गये जो निम्न प्रकार है :–धारा 23 (1) जहा कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात अपनी सम्पति का दान के रूप में या अन्यथा अन्तरण इस शर्त के अधीन रहते हुये किया है कि अंतरिती, अंतरिक को बुनियादी सुख सुविधाये और बुनियादी भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा और ऐसी अंतरिती ऐसी सुख सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकता प्रदान करने से इन्कार करेगा या सफल रहेगा तो संपति का अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अध्ययन किया गया समझा जाएगा और अंतरिक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।" इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण उस सम्पत्ति पर कार्यवाही कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद रेस्पोडेन्ट द्वारा स्थानान्तरित की गई है। अपीलार्थिया द्वारा वर्ष 2015 में अपनी स्व अर्जित आय से उक्त सम्पत्ति का कय किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट का नाम अपीलार्थी की स्नेहवश एव वृद्वावस्था में सेवा सुश्रषा करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी का यह अनुतोष स्वीकार योग्य है। विकय पत्र से रेस्पोडेन्ट गगन गुप्ता का नाम हजफ करने का आदेश दिया जाता है। तृतीय, बैंक ऑफ बडौदा के खाता संख्या 14630100010988 एवं आईसीआईसीआई बैंक के खाता संख्या 002101043466 से रेस्पोडेन्ट का नाम हटाने का अनुतोष चाहा है । माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर यह अनुतोष स्वीकार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। अतः बैंक ऑफ बडोदा व आईसीआईसीआई बैंक के उक्त खातों से रेस्पोडेन्ट गगन गुप्ता को अपना नाम हटाने के निर्देश दिये जाते है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16 (7) के तहत उभय पक्ष को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **26.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner